

राज्यपाल राधेवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1955 / जी.एस.  
दिनांक: 25/8 / 2005

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलराधिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-१६६१-६२/सम्बद्धता/२००५ दिनांक ११-०७-२००५ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ की धारा-३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००५ से आगामी तीन वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित रागस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- २- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य, प्रवक्ताओं एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- ३- महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
- ४- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- ५- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त कमियों ३० सितम्बर, २००५ तक पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर।

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

## Permanent Affiliation of the B.A.- View

संख्या-3273/सत्तर-6-2008-2(37)/2005

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-966/सम्बद्धता/2008, दिनांक 16.06.2008 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-3273(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, विशुनपुरा, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।